

सूचना अधिकार अधिनियम - सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के विवरण

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

16 सितंबर, 2005

अधिसूचना

जीएसआर ... सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का नियमन) नियम, 2005 कहा जा सकता है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू हो जाएंगे।

2. परिभाषाएँ - नियमों के संदर्भ में, जब तक या अन्यथा आवश्यक नहीं है, -

(ए) 'अधिनियम' का मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;

(बी) 'धारा' का मतलब अधिनियम की धारा;

(सी) यहां इस्तेमाल किए गए सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति, लेकिन अधिनियम में परिभाषित और परिभाषित नहीं हैं, उनके पास अधिनियम में दिए गए अर्थ होंगे।

3. धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध के साथ उचित रसीद के प्रति दस रुपए के नकद के जरिए आवेदन शुल्क या सार्वजनिक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा किया जाएगा। ।

4. धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए, शुल्क निम्न अधिकारों पर लोक प्राधिकरण द्वारा लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक की उचित रसीद के प्रति नकद के जरिए शुल्क लिया जाएगा: -

(ए) प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये (ए-4 या ए-3 पेपर में);

(बी) बड़े पेपर में एक प्रति की वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य;

(सी) नमूने या मॉडल के लिए मूल्य की वास्तविक लागत; तथा

(डी) रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए, पहले घटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या इसके बाद के फ्रैक्शन) के लिए पांच रुपए का शुल्क।

5. धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए, उचित रसीद के प्रति या लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या निम्न दरों पर नकद के जरिए शुल्क लगाया जाएगा: -

(ए) डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई जानकारी के लिए पचास प्रति डिस्केट या फ्लॉपी; तथा

(बी) ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित कीमत पर मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए या प्रकाशन से सार के लिए रुपए दो प्रति पृष्ठ फोटोकॉपी।

पीएस: सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली 1 द्वारा पृष्ठांकन सं. सं. 9 (131) /2005- ई III, दिनांक 07-10-2005

द्वारा पृष्ठांकित